न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, खगड़िया
दाखिल खारीज रिभिजन वाद सं0–4/09
दिनेश सिंह वनाम ब्रह्म्देव ठाकुर

आदेश

27.2.12

वर्त्तमान दाखिल खारीज रिभिजन वाद अपीलार्थी दिनेश सिंह एवं उमेश सिंह पं0 रामकरण महतों ग्राम– पटेल नगर, थाना–चौथम, जिला– खंगड़िया की ओर से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया न्यायालय के जमावंदी सुधार वाद सं0–2/08–09 एवं अंचल अधिकारी, चौथम के न्यायालय के दाखिल–खारीज वाद सं0–117/04 में पारित अंतिम आदेश के विरूद्व लाया गया है जिसमें श्री ब्रह्म्देव ठाकुर पिता स्व0 समौली ठाकुर ग्राम–जयप्रभा नगर, थाना–चौथम, जिला– खगड़िया के उत्तरवादी के रूप में पक्षकार बनाये गये हैं। तथा वाद में सन्नहित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	तौजी नं0	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा वी0 क0 धुर
वोरने पट्टी कैथी	9400	161	804	4860	01 01 15

तदनुसार वाद अंगीकृत के उपरांत विधिवत पक्षकारों को सूचना निर्गत किया गया जिसके आलोक में उत्तरवादी की ओर से दायर की गयी आपत्ति आवेदन पर उभयपक्षों के वि0 अधि0 का सुना तथा निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख एवं पक्षकारों की ओर से अपने–अपने दावा के समर्थन में उपलब्ध कराये गये दस्तावेजी साक्ष्य का परीशीलन किया गया।

अपीलार्थी की ओर से उनके वि0 अधि0 द्वारा यह कहा गया कि प्रश्नगत भूमि इनकी खतियानी जमीन है जिस पर शांतिपूर्ण दखलकर आ रहें हैं और उक्त भूमि की जमावंदी सं0 110 एवं 111 चल रही है। उनका यह भी कहना है कि कालान्तर में मौजा वोरने पट्टी तोजी नं0 9400 एवं 9404 में कुल अराजी 12 वीधा, पन्द्रह कठ्ठा, 10 धुर, 05 धुरकी जमीन के खतियानी रैयत उनके पूर्वज थे। तत्पश्चात जमींदारी उन्मूलनके पश्चात जमींदार द्वारा रिर्टन में नाम दिया जिसके आधार पर प्रश्नगत भूमि की जमावंदी सं0 क्रमशः 188, 189, 193 और 27 कायम होकर उनके पूर्वजों के नाम से मालगुजारी रसीद प्राप्त होती रही है। अपीलार्थी का आगे यह भी कथन है कि खतियानी रैयती के उत्तराधिकारी होने के नाते आपसी पारिवारिक बँटवारा के तहत् कुल 06 वीधा, 05 कठ्ठा, 10 धुर, 02 धुरकी, 10 फूरकी अराजी के हिस्से के

(k

निर्धारित फार्म सं० 1 (सीआरपीसी)

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख के सहित
1	

3/2/2012 अपीलार्थी एवं उत्तरवादी की ओर से ओदेश ड्राफ्ट हाजरी हो।

अभिलेख को पुनः पेश कार्यवाही,

[signature] 13/2/12

अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण आज आदेश पारित नहीं किया जा सका दिनांक 27.2.12 को आदेश हेतु उपस्थापित करें।

[signature] 13/2/12

(4)

	आदेश पत्र की बाबत कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
3	4

रद्व वाद सं0 8/08–09 का परीशीलन किया। वि0 अनुमंडल पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया ने अपने आदेश में दर्शाया है कि नामान्तरण वाद सं0 117/04–05 में अंचल अधिकारी, चौथम द्वारा जमावंदी रैयत को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत नहीं की गयी है। अपने आदेश में उन्हौंने यह भी लिखा है कि अंचलाधिकारी के दखल कब्जा के बिन्दु पर स्थलीय जांच आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी –सह– भू सु0 उप समाहर्त्ता, खगड़िया ने अंचल पदाधिकारी, चौथम द्वारा नामान्तरण वाद सं0 117/04–05 में पारित आदेश को रद्व करते हुए मामलें को नये सिरे से विधिवत पक्षकारों को सुनकर तथा दखल कब्जा के बिन्दु पर आदेश पारित करने हेतु वापस (Remand) कर दिया है।

इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा उक्त अपील वाद में पारित आदेश में कोई प्रक्रियात्मक गलती परिलक्षित नहीं होता है इसलिए इसे यथावत रखा जाता है।

पुनीरक्षणकर्त्ता श्री दिनेश सिंह ने अनुमंडल पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया के दाखिल खारीज अपील वाद सं0 4/09 के विरूद्व पुनरीक्षण वाद दायर करने के साथ–साथ अंचल अधिकारी, चौथम द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया के उक्त अपील वाद में पारित आदेश के आलोक में नामान्तरण वाद सं0 117/04–05 में पारित आदेश के विरूद्व भी इस पुनरीक्षण वाद में विचारार्थ अनुरोध किया है। अंचल अधिकारी द्वारा नामान्तरण वाद में पारित आदेश के विरूद्व सक्षम अपीलीय न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय होता है। इसलिए अंचल अधिकारी, चौथम द्वारा नामान्तरण वाद में पारित आदेश पर इस न्यायालय के द्वारा में कोई विचार करना नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है।

अतः पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख भेंजे।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

मोताबिक इन्होंने अपने नाम स्वतंत्र जमावंदी सं0 110 एवं 111 दाखिल खारीज वाद सं0 117/04–05 में अंचल अधिकारी, चौथम द्वारा स्वीकृति के पश्चात् कायम हुआ, जिसके विरूद्ध कालवाधित होने के बावजूद भी विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा उक्त नामान्तरण आदेश को निरस्त कर दिया गया है जो विधि एवं तथ्य के प्रतिकुल है।

उत्तरवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत जमीन के वास्तविक भू स्वामी श्री विद्यानन्द प्रसाद पिता डोमन लाल साह ग्राम–सरैया के नाम से, 01 बीधा, 01 कठ्ठा, 15 धुर जमावंदी सं0 142 चल रही थी, जिन्होंने प्रश्नगत भूमि निबंधित दस्तावेज के माध्यम से दिनांक 01.06.92 को ही उत्तरवादी ब्रह्मदेव ठाकुर के हाथों विक्री कर दिए। और क्रय की तिथि से उत्तरवादी दखल कब्जा में है। उत्तरवादी का आगे यह भी कथन है कि प्रश्नगत भूमि क्रय करने के पश्चात् नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र पर आवश्यक जाँचोपरांत सारी प्रक्रिया एवं स्थल पर उनके शांतिपूर्ण दखल कब्जा को पाकर जमावंदी सं0 192(8) कायम की गयी और अद्यतन मालगुजारी रसीद प्राप्त होती रही है। तथा उक्त खरीदगी अराजी में से 09 कठ्ठा, 10 धुर जमीन को भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के हाथों विक्री किया है, जिसके आधार पर क्रेता के नाम पर अलग–अलग जमावंदी संधारित है शेष जमावंदी सं0 192(क) पर 12 कठ्ठा, 05 धुर रह गया जिस पर उत्तरवादी का दखल–कब्जा विद्यमान है और अद्यतन मालगुजारी रसीद भी प्राप्त है। जबकि अपीलार्थी ने अवैध तरीका से अपने बँटवारा आवेदन में वर्णित व्यौरे की भूमि की इन्द्राज कराकर दाखिल खारीज करवा लिये थे जिसकी जानकारी होने के पश्चात् भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया के न्यायालय में जमावंदी सुधार वाद सं0 02/08–09 लाया गया और विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया ने उक्त मामला में सारी प्रक्रिया अपनाते हुए अंचल कार्यालय चौथम के नामान्तरण वाद सं0 117/04 में अपीलार्थी के नाम दर्ज जमावंदी सं0 110 एवं 111 को रद्व करते हुए विधिवत स्थलीय जाँच के पश्चात् पुनः आदेश पारित करने हेतु अंचल अधिकारी, चौथम को निदेशित किया गया जिसके आधार पर स्थलीय जाँच एवं दस्तावेजी साक्ष्य के संतुष्टि के उपरांत विधिवत उत्तरवादी ब्रह्मदेव ठाकुर के पक्ष में दिनांक 31.03.2010 को अंचल अधिकारी, चौथम द्वारा निर्णय पारित किया गया जो बिल्कुल ही नियमानुकूल एवं वैध है।

उभयपक्ष के वि0 अधि0 को सुना। पक्षकारों द्वारा दाखिलात कागजात को भी गहन अध्यन किया। अनुमंडल पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा जमावंदी